नि:शक्तजन समाचार

NEWS LETTER FOR DISABLED PERSONS

अंक : प्रथम ।। वर्ष : प्रथम।। आवृत्ति : द्विमासिक।। सितम्बर,–अक्टूबर : 2006 आन्तरिक वितरण हेतु

सम्पादक
अरूण गुप्ता
कम्पयूटरीकृत एवं सज्जा:
धर्म सिंह

हैप्पी फैमिली हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च एसोसियेशन (एक पंजीकृत एन.जी.ओ.) है गत् एक दशक से मानसिक विकलांगता (निदान, उपचार, शिक्षा व पुनर्वास) तथा अन्य जनोपयोगी एवं बहुआयामी जोडे स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसन्धान व विकास मानव संसाधन विकास में संलग्न है।

समाज कल्याण उत्तरांचल सरकार *द्वारा मानसिक विकलांगजनों के चिकित्सकीय हस्तक्षेप, निदान, उपचार एवं काउंसलिग हेतु हैप्पी फैमिली हैल्थ केयर एण्ड रिसर्च एसोसियेशन* ***'राज्य संसाधन केन्द्र'*** *के रूप में अधिकृत है एवं* ***राष्ट्रीय न्यास, दिल्ली*** *से पंजीकृत है।*

इस अंक में –

–मानसिक नि:शक्तता एक परिदृश्य
–विशेष स्कूलों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
–'बुद्धि' एवं आकलन
–नि:शक्तजनों के कल्याणार्थ योजनायें
–न्यूज–ब्यूज
–आगामी दिनों के कार्यक्रम
– राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदत्त सेवाए
–हेल्प लाइन
–नि:शक्तजन अधिनियम 1995

मानसिक नि:शक्तता : एक परिदृश्य

अकेले भारतवर्ष में ही लगभग एक करोड़ से अधिक बच्चे और दो करोड़ से अधिक वयस्क मानसिक रूप से नि:शक्त हैं, सामान्यत: शारीरिक तौर पर कोई कमी न दिखाई पड़ने के कारण इन व्यक्तियों की व्यापकता का हमें सही अन्दाजा नहीं हो पाता। एक विश्वसनीय स्रोत के अनुसार, अनुमानत: पूरे विश्व की जनसंख्या का 3% मानसिक रूप से विकलांग है, इनमें शिशुओं, बालकों व किशोरों का प्रतिशत वयस्कों की अपेक्षा कहीं अधिक है। इनमें यदि शारीरिक विकलांगताऐं व लिखना-पढ़ना सीखने से जुड़ी अक्षमताऐं भी शामिल कर ली जायें तो इनका प्रतिशत 5 गुना अर्थात 15 प्रतिशत हो जाता है।

मानसिक विकलांगता क्या है?

मानसिक विकलांगता मानसिक रूप से पिछड़ेपन की ऐसी स्थिति है जो सामान्य बुद्धि और सामान्य कार्य क्षमता में कमी के रूप में प्रकट होती है या दिखाई देती है और अक्सर बच्चों के बढ़ने–पनपने की उम्र में उनके अनुकूलन व्यवहार में कमी या दोष से जुड़ी होती है।

दूसरे शब्दों में कहें तो यह बुद्धि का सीमित विकास है इसमें शारीरिक आयु बढती है किन्तु उस अनुपात में मानसिक आयु विकसित नहीं होती।

जिन बच्चों का बौद्धिक गुणांक (आई–क्यू) 70 से कम होता है, उन्हें मानसिक विकलांग मान लिया जाता है।

मानसिक रूप से प्रभावित बच्चों को कैसे पहचानें?

ऐसे बच्चों में व्यवहार–सम्बन्धी अनेक ऐसे असामान्य लक्षण पैदा हो जाते हैं जिनके कारण इन्हें पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है जैसे – शिशु अवस्था में वृद्धि व विकास के माइल स्टोनस का देरी से होना।

–कुछ ज्यादा ही धीरे या देर से समझना/ बार–2 समझाने पर समझना/कम समझ पाना।

–उनके चारों ओर जो कुछ हो रहा है डसके प्रति अनुक्रिया जताने में ज्यादा समय लगाना।

–अपने मनोभावों और जरूरतों को प्रकट न कर पाना।

–ऐसे व्यवहार जिनसे लगे कि वे –अपने से बराबर उम्र के बच्चों के समान मानसिक क्षमताऐं न होना

–स्मृति कमजोर होना।

–निर्णय लेने में कठिनाई होना।

–देखने, सुनने या बोलने संबंधी दोषों का पाया जाना।

शिशु अवस्था के दौरान वृद्धि व विकास आंकलन करने वाले मुख्य माइल स्टोन निम्न हैं –

क) **2 माह पूरे होने पर – सामाजिक मुस्कराहट**
(आपके मुस्कराने पर शिशु प्रतिउत्तर में मुस्कुराता है)

ख) **4 माह पूरे होने पर – अपना सिर सीधा रखपाना**
(जब बच्चे को सीधा बैठाया जाये तो वह अपना सिर सीधा रख सकता है)

ग) **आठ माह पूरे होने पर – बिना सहारे के बैठ सकना**
(बच्चा बिना किसी सहारे या न्यूनतम सहारा लेकर बैठा रह सकता है)

घ) **12 माह पूरे होने पर – अकेला खड़ा हो सकना**
(बिना किसी सहारे या न्यूनतम सहारा लेकर बच्चा अपनी टांगों पर खड़ा हो सकता है)

उपरोक्त में अनावश्यक देरी होने पर विकंलागता का शक किया जाना चाहिये।

मानसिक विकलांगों में क्या किसी प्रकार की शारीरिक कमियां भी पाई जाती हैं?

सभी मानसिक विकलांग बच्चों के साथ ऐसा हो यह जरूरी नही फिर भी नीचे लिखे शारीरिक लक्षणों में कुछ देखे जा सकते है

–ज्यादा छोटा या बड़ा –सिर –छोटी आखें, तिरछी ऑखें, ऊपरी पलक पर सिकुड़न। –कान की असामान्य बनावट, ज्यादा नीचे होना

–चपटी नाक, व छोटी आकार

–गर्दन, छोटी व पूरी तरह न घुमा पाना।

–बॉहें व टांगें अधिक छोटी या लम्बी

–नाखून दोषपूर्ण

–पैरों की छोटी ठूठ जैसी उगलियॉ

–गुप्तांग– सामान्य से छोटा शिश्न, बिना उतरे टेस्टिस, बड़े अंडकोष, अस्पष्ट गुप्तांग

–छाती की आकृति असामान्य

–त्वचा में गहरे या हल्के रंग के धब्बे

मानसिक विकलांगता की रोकथाम कैसे की जा सकती हैं?

मानसिक विकलांगता के कारणों पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि कई ऐसी स्थितियां है जो गर्भावस्था के समय, प्रसव के समय व शिशु जन्म के बाद विकलांगता का कारण बनती है जिन्हें प्रसव पूर्ण, प्रसव के दौरान व प्रसव के बाद शिशु व मां की समुचित देखभाल द्वारा दूर किया जा सकता है। ऐसे अन्य कारण भी हैं जिन्हें दूर करने का कोई ऊपाय नहीं है।

(शेष अगले अंक में)

प्रकाशन: डा० राजीव कुमार, अध्यक्ष हैप्पी फैमिली हैल्थ केयर एण्ड रिसर्च एसोसियेशन सुभाष नगर रूड़की (जनपद हरिद्वार, उत्तरांचल, दूरभाष 01332–263486) द्वारा जनहित में प्रकाशित एवं वितरित

विशेष स्कूलों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

— श्रीमती टी. रमा देवी, विशेष शिक्षा प्रशिक्षक

1. विशेष शिक्षा क्या है?

विशेष शिक्षा एक मान्य शिक्षा पद्धति है उन बच्चों के लिए जो सामान्य बच्चों के लिए तैयार विभिन्न बोर्डों के पाठ्यक्रमों के अनुरूप प्रगति नहीं कर पाते।

2. मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष स्कूलों में भर्ती करना क्यों महत्तवपूर्ण होता है?

ऐसे बच्चों को विशेष स्कूलों में प्रवेश दिलाना न सिर्फ इसलिए जरूरी होता है कि वे जहॉ तक सम्भव हो अधिकतम शैक्षणिक अवसरों का उपयोग कर अपनें में बेहतर सुधार ला सकें बल्कि इसलिए भी कि समग्र रूप से उनका विकास हो सके और वे एक अधिक अर्थपूर्ण व आत्म निर्भर जीवन जी सकें। इन विशेष स्कूलों का आधारभूत उद्देश्य विशेष बच्चों को, जहॉ तक सम्भव हो, आत्म निर्भर बनाने का रहता है।

ऐसे विशेष बच्चों को विशेष स्कूल में भर्ती करना सबसे अधिक महत्तवपूर्ण होता है क्योंकि ऐसे बच्चों के माता–पिता या अभिभावकों में अक्सर ही ऐसे बच्चों को समुचित रूप से मार्ग निर्देशित करने व उनका सुचारू रूप से प्रबन्धन करने के लिए आवश्यक जानकारी/ज्ञान व कुशलता का अभाव होता है। ऐसे बच्चे अभिभावकों के द्वारा घरों में या तो ज्यादातर उपेक्षा झेलते हैं या अति संरक्षण (जरूरत के कही अधिक सुरक्षा) और ये दोनों ही चरम स्थितियां ऐसे बच्चों के समुचित विकास के लिए हानिकारक सिद्ध होती है।

3. इस प्रकार की शिक्षा में विशेष क्या है?

जैसा कि नाम से ही विदित है इसमे सब कुछ विशेष है जो सामान्य से हट कर है। जिस प्रकार मानसिक निःशक्त या पढ़ना लिखना सीखने से जुड़ी अक्षमताओं से ग्रस्त होने के कारण बच्चे विशेष होते है वैसी ही अध्यापक भी (विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित होने के कारण) विशेष होते है। क्लास रूम की व्यवस्था, फर्नीचर, शिक्षण के तौर–तरीके, सहायक शिक्षण सामग्री तथा परिवेश आदि सभी कुछ विशेष होता है।

4. ऐसे बच्चों को 'विशेष' क्यों कहा जाता है?

ऐसे बच्चे इस मायने में विशेष होते हैं कि उनमें विद्यमान कुछ विशेष क्षमताऐं/प्रतिभाएं/कुशलताऐं सुप्त अवस्था में होती हैं जिन्हें विशेष शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षक की मदद से विकसित किया जा सकता है।

5. विशेष स्कूलों के शिक्षक/प्रशिक्षक किन अर्थो में विशेष होते हैं?

ऐसे शिक्षक "विशेंष शिक्षक" कहलाते हैं ये विशेष बच्चों के भीतर छुपी सम्भाव्य क्षमताओं को यथा सम्भव पूर्ण रूप से उजागर व विकसित करने हेतु प्रशिक्षित होते हैं। ये अभिभावकों का उचित मार्गदर्शन भी कर सकते हैं जिससे बच्चे का यथा सम्भव विकास हो सके।

6. विशेष स्कूलों के क्लास रूमों में क्या कुछ विशेष होता हैं?

ये क्लास रूम ऐसे बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रख कर आरामदेह व आकर्षक बनाये जाते हैं। क्लासरूम की प्रत्येक आइटम विशेष रूप से डिजाइन की जाती है जिससे बच्चा उससे कुछ न कुछ हासिल कर सके। चार्टो व मॉडलों आदि का भी प्रचुर उपयोग किया जाता है। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार फर्नीचर भी विशेष निर्मित होता है। आवश्यकता के अनुसार, बैठने पर पीठ, धड़, टॉगों और बांहों को सहारा देने के लिए विशेष व्यवस्था होती है। प्रमस्तिष्क अंगघात (सेरीब्रल पाल्सी) से ग्रस्त बच्चों को आराम व सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष 'सी.पी. चेअर' भी उपलब्ध करायी जाती है।

7. वातावरण में 'विशेष' क्या होता है?

ऐसे विशेष बच्चों में संवेदी अंगों (आंख, कान, आदि) के बेहतर उददीपन के लिए खास तरह से तैयार टॉयज व खेलने का सामान उनके वातावरण का निर्माण करते हैं जिससे उनमें देखने–सुनने, छूने व अन्वेषण करने में आकर्षण व जागरूकता उत्पन्न हो तथा वे इस सहारे पढ़ना–लिखना व अन्य जीवनोपयोगी क्रिया कलाप सींख सके।

इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि वातावरण खुशनुमा हो और आमोद–प्रमोद से युक्त हो। **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

निश्क्तजनों के कल्याणार्थ उत्तरांचल सरकार की योजनायें:

–आयुक्त विकलांगजन उत्तरांचल

भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से निःशक्तजनों के कल्याण हेतु निम्न कल्याणकारी योजनाऐं संचालित कर रही है।

1. निराश्रित विकलांगजनों को भरण–पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन)

इसके अन्तर्गत निराश्रित, साधनहीन, शारीरिक रूप से अक्षम, मूक बधिर, दृष्टिहीन तथा मानसिक रूप से मंदित निःशक्तजनों को, जिनकी मासिक आय रूपये 1000/– तक है, को रूपये 400/– प्रतिमाह की दर से भरण पोषण अनुदान प्रदान किया जाता है।

2. विकलांग छात्रों तथा विकलांगजनों के बच्चों को छात्रवृत्तिः विकलांगों के सर्वांगीण विकास एवं उनके पुनर्वासन हेतु शिक्षा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उन्हें छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

1. कक्षा 1 से 5 तक 25 रू. प्रतिमाह
2. कक्षा 6 से 8 तक 40 रू. प्रतिमाह
3. कक्षा 9 से 12 तक 85 रू. प्रतिमाह
4. स्नातक 125 रू. प्रतिमाह
5. स्नातकोत्तर 170 रू. प्रतिमाह
6. अन्य प्रोफेसनल पाठ्यक्रम 270 रू. प्रतिमाह

3. इस योजना के अन्तर्गत विकलांगजनों को तिपहिया साईकिल, वैसाखी, जयपुरिया बूट, चश्मा तथा श्रवण सहायक यन्त्र इत्यादि क्रय करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना में लाभान्वित करने हेतु लाभार्थी की मासिक आय रू. 1000/– निर्धारित की गयी है तथा अनुदान की अधिकतम सीमा रू. 3500/– प्रति लाभार्थी है।

4. **दक्ष विकलांग कर्मचारियों, स्वतः रोजगार में कार्यरत विकलांग व्यक्तियों एवं उनके सेवायोजक एवं प्लेस्मेन्ट अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कारः** प्रदेश सरकार द्वारा उपरोक्त को पुरस्कृत किये जाने की योजना है। वर्ष 2003–04 में पुरस्कार की धनराशि रू. 1000/– से बढ़ाकर रू. 5000/– कर दी गयी है।

5. **राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशक्तजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा** इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। अति गंभीर निःशक्तजनों के साथ एक सहयोगी को भी निःशक्तजनों की तरह निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है।

6. निःशक्तजनों के विवाह हेतु प्रोत्साहन पुरस्कारः विवाहित युगल में से एक व्यक्ति के निःशक्त होने पर प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान की धनराशि दी जाती है। यह अनुदान की धनराशि दम्पत्ति में युवक के निःशक्त होने पर रूपये 11000/– एवं केवल युवती के अथवा दोनो के निःशक्त होने पर रूपये 14000/– निर्धारित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित दम्पत्ति को पुरस्कार की राशि जनपद में ही स्वीकृत हो जाये, इस उद्देश्य से अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी को प्रदान किया गया है।

7. स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदानः इस योजना के अन्तर्गत निःशक्तजनों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तरांचल शासन की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी इन स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(शेष अगले अंक में)

बुद्धि एवं आकलन

flU/kq efyd] lkbdskykWthLV

मनुष्य आज श्रेष्ठ प्राणि है क्योकि उसके पास बुद्धि है । कुछ वयक्ति जन्म से ही प्रखर–बुद्धि वाले अथवा मूर्ख हुआ करते हैं । प्रखर–बुद्धि वाले व्यक्ति मूर्ख व्यक्तियों की अपेक्षा शिक्षा से अधिक लाभ उठाते है। कहा जा सकता है कि बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित होती है परन्तु दूसरी ओर इसके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण की भी आवश्यकता होती है । बुद्धि में कोई एक गुण नही होता है बल्कि बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है । अतः किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिहीन तब तक नही कहना चाहिए तब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाये । बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से नही देखा जा सकता बल्कि उसके प्रभावों को ही देखा जा सकता है अतः हम बुद्धि का उपयोग न केवल विभिन्न समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में करते हैं वरन अपने दैनिक जीवन की छोटी–छोटी बातों से लेकर बडी–बडी बातों को समझने और उनके प्रति अनुक्रिया करने में भी करते हैं।

स्टर्न के अनुसार, *नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है*। **वैश्लर** के अनुसार, *बुद्धि व्यक्तियों की शक्तियों का वह समुच्चय या संगोलीय क्षमता है जिससे व्यक्ति ध्ययेपूर्ण क्रिया करता है विवकेशील चिन्तन करता है तथा वातावरण के प्रति प्रभावपूर्ण समायोजन करता हैं।*

बुद्धि एक प्रकार की योग्यता तथा योग्यताओं का संयोगीकरण है जिसमें व्यक्ति विवेकशील तथा अमूर्त्त चिन्तन कर सकता हैं ध्येयपूर्ण कियायें कर सकता हैं ज्ञान और संकेतो से कुछ अधिगम (सीखना) कर सकता है। नई परि–स्थितियों में प्रभावपूर्ण समायोजन कर सकता है।

भारतीय दर्शन के अनुसार, **उपयुक्त समय पर तथा उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त वस्तु का पर्यवेक्षण करने की शक्ति ही बुद्धि है**।

बुद्धि को हम निम्न चार पृथक अवयवों में विलग कर समझ सकते हैं :1. नई परिस्थितियों से समायोजन रखने की योग्यता
2. सम्बन्ध एव सहसम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता
3. उच्च विचारधारा निर्माण करने की योग्यता
4. अनुभवों पर आधारित पूर्वानुमानों से ज्ञानार्जन की योग्यता

जब हम किसी व्यक्ति को 'होनहार', 'निपुण', 'चतुर' या 'समझदार' कहते हैं तो हम उस व्यक्ति की बुद्धि के किसी न किसी पक्ष को व्यक्त करते हैं। परन्तु अभी तक सभी मनोवैज्ञानिक इस पर एक मत नही हैं कि 'बुद्धि क्या है?' यही कारण है कि अधिकांश मनोवैज्ञानिक बुद्धि की इस विवादरहीत परिभाषा पर सहमत हैं कि *बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापी जाती है।*

विनें और **साइमन** ने सर्वप्रथम एक बुद्धि परीक्षण निकाला जिसमें कुल 30 प्रश्न थे। **स्टर्न** ने इस सम्बन्ध में एक महत्तवपूर्ण सुझाव दिया–उन्होने बुद्धि मापदण्ड के स्थान पर बुद्धि–लब्धि (I.Q.) का सुझाव दिया। धीरे–धीरे **विनें** के टेस्टों को विभिन्न देशो द्वारा अपनाया गया तथा कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। भारत में भी इस प्रकार के टेस्ट बनाये गये।

बुद्धि परीक्षण छात्रों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम चयन करने, छात्रों का वर्गीकरण करने, उनकी 'स्कूली सफलता' का पूर्वानूमान करने में व असामान्य छात्रों का पता लगाने आदि कार्य में उपयोगी सिद्ध हुये है। इन परिक्षणों का उपयोग मानसिक रूप से मन्द व मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चों को अलग कर निदान कार्य हेतु किया जाता है जिससे उन्हें यथा आवश्यक सहायता दी जा सके जैसे उन्हें विशेष स्कूलों में लिया जाना एवं प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ दिलाना। इस प्रकार बुद्धि परीक्षा द्वारा उपयुक्त कार्य प्राप्त न होने पर असन्तुष्ट कर्मचारियों को ज्ञात किया जा सकता है प्रशिक्षाणार्थ उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है तथा व्यक्ति को उपयुक्त व्यवसाय में प्रवेश दिलाया जा सकता है

नि:शक्तजन अधिनियम 1995

नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों और अवसरों के संबंध में ***नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995,*** *भारत सरकार के संसद द्वारा 12 दिसम्बर, 1995 को पारित किया गया तथा 07 फरवरी, 1996 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य नि:शक्त व्यक्तियों को सुविधायें/सेवायें प्रदान करने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों का दायित्व निर्धारण करना है, ताकि नि:शक्तजन देश के उत्पादक व उपयोगी नागरिक के रूप में समान अवसर प्राप्त कर, अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इस अधिनियम में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान व मानव शक्ति विकास, बाधा रहित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा के लिये प्राविधान किये गये हैं।*

(पृष्ठ 2 का शेष भाग)

विशेष स्कूलों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

8. ऐसे बच्चों को पढ़ाने के तरीकों में क्या विशेष है? 'खेल–खेल में सीखना' यानि 'प्ले वे' अपना कर विभिन्न प्रकार के खेल–खिलौने और 'गेम्स' इस में प्रयोग किये जाते है। गीत, नृत्य का भी शिक्षण में भरपूर उपयोग किया जाता है, संक्षेप में, 'स्वंय कर के सीखना' इन पढ़ाने के तरीकों का मूल आधार है। विभिन्न प्रयोग करने के और अन्वेषण के अवसर भी प्रदान किये जाते हैं।

9. इस प्रकार के विशेष प्रशिक्षण स्कूलों में पाठ्यक्रम किस प्रकार निर्धारित किया जाता हैं? ऐसे बच्चों के सही मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है कि इस बात का भली प्रकार आकलन कर लिया जाये कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते और शुरू में ही इस प्रकार का आकलन विशेष स्कूलों में किया जाता है। 'स्पेशल एजुकेटर' द्वारा प्रत्येंक बच्चे के लिए एक पृथक पाठ्यक्रम तय किया जाता है। इस पाठ्यक्रम के बनाने में नैदानिक मनोविज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की सहायता भी–जैसी जरूरत हो– ली जाती है इस पाठ्यक्रम में अधिकांशतः वही उददेश्य समाये रहते हैं कि बच्चे को दैनिक जीवन में क्या जानना और सीखना जरूरी है। समय, रूपये–पैसों, दिशा ज्ञान, रंग, स्वयं सुरक्षा आदि की समझ पैदा होनी जरूरी है।

अन्दर से हमेशा हम एक ही उम्र पर टिके रहते है।

–जरट्रूड स्टीन

10 विशेष स्कूलों में और क्या अन्य सुविधाऐं प्रदान की जाती है? अन्य सुविधाओं में स्पीच थैरेपी, फिजियो थेरेपी, आकुपेशनल थेरेपी व व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्मिलित हैं, जैसी बच्चे की आवश्यकता हो वैसे उनकी संगीत, नृत्य, पेन्टिंग, ड्राइंग या हस्तशिल्प सम्बन्धी प्रतिभाओं या खेलकूद सम्बन्धी कुशलताओं को विकसित करने के प्रयास किये जाते है।

11. ऐसे विशेष स्कूलों में प्रवेश दिलाने की क्या कोई निर्धारित उम्र है? अविलम्ब हस्तक्षेप' यहां भी आवश्यक है (जैसा कि चिकित्सकीय हस्तक्षेप उनके लिए आवश्यक है)। विशेष बच्चे का विकास कितना हो पायेगा यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि कितनी पहले उसे प्रोफेशनल

विकलांगता निश्चित रूप से ऐसी विवशता है कि जिसमें विकलांग व्यक्ति का कोई हाथ नही है, किन्तु विकलांगता के उपरान्त भी यदि उसमें मनोबल हो और उसे समाज एवं शासन से बल एवं प्रोत्साहन प्राप्त होता रहे तो वह इस पर विजय पा सकता है।

न्यूज–व्यूज

विकलांगता कार्यशाला

मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, द्वारा राज्य के समस्त जनपदों में विकलांगता से जुड़े विषयों पर शासकीय सेवकों, मीडिया, जनप्रतिनिधियों व अभिभावकों को संवेदनशील बनाए जाने हेतु कार्यशालाओं के आयोजन हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिसके परिपालन में सर्वप्रथम दिनांक 26–27 मई 2006 को जनपद पिथौरागढ़ में अपर सचिव समाज कल्याण/आयुक्त विकलांगजन श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें लगभग एक हजार व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यशाला के आयोजन में पिथौरागढ. के जिलाधिकारी श्री अमित नेगी, समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती चन्द्रा चौहान व अतिरिक्त निदेशक समाज कल्याण श्री पंत का हार्दिक सहयोग रहा।

मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य संसाधन केन्द्र रूड़की उत्तरांचल के विशेषज्ञों द्वारा इस कार्यशाला में सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया एवं अनेक मानसिक विकलांगो को प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी।

राष्ट्रीय न्यास द्वारा मानसिक विकलांगता पर जनसंचेतन कार्यशाला

मा. मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यास द्वारा गढवाल मण्डल के जिलाधिकारियों व लोकल लेवल कमेटी के सदस्यों के साथ मानसिक विकलांगता जैसे स्वपरायणता (ऑटिज़्म), प्रमस्तिष्क घात (सैरीब्रल पॉल्सी), मानसिक मन्दता एवं बहु नि:शक्तता के सम्बन्ध में दिनांक 03 जून 2006 को देहरादून के 'मन्थन' सभागार में एक जनसंचेतन कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्षा श्रीमती पूनम नटराजन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं संयुक्त सचिव (भारत सरकार) डा. विनोद अग्रवाल द्वारा मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय न्यास के योगदान पर प्रकाश डाला गया। उत्तरांचल सरकार के समाज कल्याण सचिव श्रीमती राधा रतूडी एवं अतिरिक्त सचिव व आयुक्त विकलांगजन श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल के अथक प्रयासों से यह कार्यशाला अपने प्रयोजन में अति सफल रही।

मानसिक विकलांगता के लिए नामित राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा मुख्य सचिव महोदय को जनपद–पिथौरागढ़ में आयोजित कार्यशाला में बनाये गये एक संक्षिप्त वृत्तचित्र को दिखाया गया। डा. राजीव कुमार द्वारा मानसिक विकलांगजनों की समस्याओं को रेखांकित किया गया।

विशाल स्वास्थ्य मेला

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत दिनांक 22 व 23 जुलाई, 2006 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चम्पावत, जनपद चम्पावत में एक विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ जिसमें विशेषज्ञों द्वारा सैकड़ों रोगियों का नि:शुल्क परीक्षण किया गया।इस मेले में राज्य संसाधन केन्द्र, रूड़की उत्तरांचल के विशेषज्ञों द्वारा मानसिक रूप से विकलांग व अन्य शारीरिक विकलांगजनों को प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति दी गई।

वृहद स्वास्थ्य मेला

विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाराकोट में एक विशाल मेले का आयोजन 8–9 अक्टूबर, 2006 को किया गया इसमें सभी रोगो के उपचार के लिए विशेषज्ञों चिकित्सकों की सेवाऐं उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी, व आवश्यकता अनुसार जॉच सुविधाऐं भी उपलब्ध करायी गयी।

इस अवसर पर मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य संसाधन केन्द्र, रूड़की के विशेषज्ञ दल द्वारा मानसिक विकलांगजनों व अन्य विकलांगजनों का परीक्षण किया गया और उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की गई। केन्द्र के निदेशक डा. राजीव कुमार ने डेढ़ दर्जन विकलांगो को नि:शुल्क कान सुनने की मशीने वितरित की।

जीवन की निरंतरता इस पल ही विधमान है। मै इसके ठीक मध्य में हूँ। यह सूरज की धूप में मेरे चारों ओर उपस्थित है। प्रकाश से बोझिल हवा में उड़ती तितली के समान मैं इसमें अवस्थित हूँ। आगे भविष्य में कुछ घटित होने वाला नहीं है। वर्तमान ही अमर जीवन है।

–रिचार्ड जेफरीज

राज्य संसाधन केन्द्र (उत्तरांचल) (राष्ट्रीय न्यास, दिल्ली से पंजीकृत)

हैप्पी फैमिली हैल्थ केयर एवं रिसर्च एसोसियेशन, सुभाष नगर, रूड़की

मंदबुद्धि, सेरीब्रल पाल्सी, ऑटिज्म व बहुविकलांगता से ग्रस्त के लिए

उपलब्ध सुविधाऐ:–

प्रारंभिक जांच, मूल्यांकन, परामर्श
निदान
उपचार :–

- *औषधि*
- *फिजियोथैरेपी*
- *स्पीचथैरेपी*
- *साइकोथैरेपी*
- *काउंसलिंग*
- *विशेष शिक्षा*

विकलांगता प्रमाण पत्र सहायता
राज्य सरकार निर्देशित पुनर्वास सहायता
विकलांगों हेतु विविध सरकारी कल्याण–कारी योजनाओं की जानकारी

मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थाओं एवं संगठनों से अनुरोध *है कि वे अपने यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रिपोर्टिगं अथवा विषेश महत्व की सूचनाओं के बारे में हमें जानकारी दें हम सभी उपयोगी जानकारी 'नि:षक्तजन समाचार' में प्रकाषित करेगें।*

सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से निवेदन *है कि वे मानसिक मन्दता ग्रस्त अथवा स्कूली षिक्षा में पिछड़ने वाले छात्र छात्राओं में सुधार के लिये किये जा रहे प्रयत्नो से हमें अवगत करायें हम उपयोगी जानकारी प्रकाषित करेंगे।*

लेखकों से अनुरोध–
मानसिक विकलांगता से जुड़ी समस्याओं, मुद्दो, सरोकारों से सम्बन्धित आपके लेखो, कहानियो, रिर्पोताज, सर्वे आदि को हमें भेजे। हम उन्हें यथोचित प्रकाशित करेंगे।

प्रकाशकों से अनुरोध–
उपरोक्त विशयक पुस्तकों के बारें में हमे जानकारी दें एवं उसकी एक प्रति हमे भेंजे जिससे हम उसकी समीक्षा प्रकाशित कर सकें।

मानसिक विकलांगजन अभिभावकों से अनुरोध–
आपके द्वारा महसूस की जाने वाले कठिनाईयों अथवा अपनी शंकाओं के ममाधान हेतु अथवा कोई विषेश जानकारी पाने के लिए हमें लिखें

अन्य सभी से अनुरोध– *यदि उपरोक्त क्षेत्र में आपके कुछ सुझाव है या शिकायतें है तो आप हमें लिख भेजे हम उन्हें 'नि:श क्तजन समाचार' के माध्यम से शासन तक पहुँचायेगें।*

–सम्पादक

नि:शक्तजन समाचार'
हैप्पी फैमिली हैल्थ केयर एण्ड रिसर्च एसोसियेषन, सुभाश नगर रूड़की (हरिद्वार)
E-mail :
rkroorkee@yahoo.com